134

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (कैम्प रीवा) म0प्र0

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES 20 रु.

Rs 20/-

436
5.8.14

R. 3065-III/14

अशोककुमार कुशवाहा पिता स्व0 श्री विश्राम कुशवाहा निवासी ग्राम चौड़ियार तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

निगरानीकर्ता

बनाम

राजमणि कुशवाहा पिता श्री रामाधार कुशवाहा निवासी ग्राम चौड़ियार तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

गैर निगरानीकर्ता

श्री ... पाठक एड के द्वारा आज दिनांक 5-8-14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनॉक 24.06.2014 प्र.क. 102/अ-66/2013-14 द्वारा पारित अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा म0प्र0 अन्तर्गत धारा 7 म0प्र0 वास स्थान दखल कार (भूमिस्वामी अधिकारो का प्रदाय किया जाना) अधिनियम 1980 ई0

क्रमांक 27447
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 28.8.14 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर ,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :-

(1.) यह कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनॉक 24.06.2014 प्र0क0 102/A66/2013-14 अधिकारित रहित विधि व प्रकिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये ज़ाने योग्य है ।

(2.) यह कि निगरानीकर्ता भूमिहीन एवं अत्यन्त गरीब व्यक्ति है जिसका पुराना पैतृक माकान अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 382/5 रकवा 0.113 हे0 के अंश भाग

अशोक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0 **R.**3065–तीन / 14 जिला–रीवा

अशोक कुमार कुशवाहा / राजमणि कुशवाहा

(1)	(2)	(3)
23.01.18	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	